Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arms Appeal Case No.-24/2024]

Nirbhay Kumar Thakur.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.3.2026	**आदेश** यह आर्म्स अपील वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के आर्म्स वाद संख्या-01/2022 में दिनांक-16.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-19.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि उनके पिता स्व0 महाकांत ठाकुर के नाम से 01 दो नाली बंदूक का अनुज्ञप्ति संख्या-750/1961 निर्गत था। पिता के देहांत के पश्चात जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सहरसा के आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति के साथ शस्त्र को शास्त्रागार पुलिस लाईन, सहरसा में जमा कर दिया गया। तथा जमा करने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा सभी संगत कागजातों के साथ दो नाली बंदूक हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को जांच एवं अनुशंसा हेतु भेजा गया। इस क्रम में अपीलार्थी के विरूद्ध सदर थाना में कांड संख्या-291/2009, दिनांक-20.6.2009 अंदर धारा-341, 323, 324, 504, 34 भा.द.वि. दर्ज होने का रिपोर्ट थानाध्यक्ष द्वारा दिया गया। इस संदर्भ में उनका कहना है कि अपीलार्थी बेल पर है तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा द्वारा उक्त कांड के लंबित होने का प्रतिवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि जिला शस्त्र दंडाधिकारी द्वारा उनके पक्ष को बिना सुने मात्र पुलिस अधीक्षक, सहरसा द्वारा उक्त थाना कांड संख्या लंबित होने के आधार पर उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। अतः उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक आर्म्स का कहना है कि यह अपील अत्यधिक विलंब से दाखिल किया गया है। जिसे काल बाधित मानते हुए खारिज किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक अपराधिक मामला सहरसा थाना कांड सं.-291/2009, दिनांक-20.6.2009 अंदर धारा-341, 323, 324, 504, 34 भा.द.वि. लंबित है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि निम्न न्यायालय के स्तर से अपीलार्थी के पक्ष में पुलिस अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि "पिता के नाम से शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत होने की स्थिति में उनके पुत्र को भी पुलिस अनुशंसा के और बिना समुचित आधार के शस्त्र अनुज्ञप्ति का दिया जाना उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।" अपीलाधीन आदेश में आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा-14(3) के तहत Reason for	

	09.3.2026	Refusal of Arms Licence सविस्तार अंकित है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में वैधानिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि स्थापित नहीं किया जा सका है। जिला दण्डाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	